न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 86 / 24 वाद GCMS NO : 2024/0024
पूर्व प्रकरण संख्या : 57 / 18

1. श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी उमेश, निवासी, तितरड़ी तहसील गिव जिला उदयपुर हाल ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर
2. श्रीमती चन्द्रा देवी पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी महेश जी आमेटा, निवासी विजनवास तहसील मावली जिला उदयपुर
3. श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी राजेन्द्र जी 3–आमेटा, निवासी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर
4. श्रीमती राजेन्द्रा पुत्री स्व. जमना शंकर जो पत्नी कुमदेश जी आमेटा, निवासी गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. हेमन्त कुमार पिता जमना शंकर जी आमेटा, निवासी–तीतरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 92–एराजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक : 27.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 188 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि वाद पत्र में अंकित सजरे के अनुसार मूल पुरूष तुलसीराम जी थे जिनके चार पुत्र मुकटेश्वर, जमना शंकर, श्याम सुन्दर एवं रामचन्द्र थे जिनमें से जमना शंकर जी के वारिसान में लीला देवी, चन्दा, निर्मला, हेमन्त एवं राजेन्द्र पुत्र–पुत्रीया है। वादीगण एवं प्रतिवादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा सुरों का गुड़ा, पटवार क्षेत्र बेमला तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में जिसके खसरा आराजी संख्या 236 / 1 मीन रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी संख्या 1 / 1 रकबा 5 बीघा 1 बीघा है। जिसके हाल आराजी 90

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested

से 96 कुल किता 07 कुल रकबा 4.1650 हैक्टयर है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है यानि पृथक–पृथक रूप से 1/20 वां हिस्सा है। मूल पुरूष श्री तुलसीराम के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण के पिता श्री जमना शंकर जी तत्पश्चात् वादीगण व प्रतिवादी को जरिये विरासत प्राप्त हुई है जिससे वादग्रस्त भूमि में श्री जमना शंकर के जीवनकाल के पश्चात् वादीगण एण्वं प्रतिवादी ने अपने–अपने हिस्से की भूमि पर सहमति से बंटवाड़ा कर अपने–अपने हिस्से में आई भूमि पर लागत लगा काश्त की जा रही है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा जन्म से ही वादग्रस्त भूमि में हित व अधिकार निहित है फिर भी असमाजिक तत्वों द्वारा भू–दलालों के चक्कर में आकर वादीगण को उनके एक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। हाल ही में भूमि की मालियत बढ़ जाने से प्रतिवादी जो कि कतिपय असामाजिक सम्पर्क में है वादीगण के हक हिस्से में आई भूमि पर आया व वादीगण के सिजारी को वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने से रोक दिया व कहा कि वादीगण का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है वे अपने ससुराल में रहती है उनका उक्त भूमि में कोई हक मौजूद नहीं है। उक्त समस्त 1/4 हिस्से की भूमि मुझ प्रतिवादी के अकेले की है। उक्त भूमि मेरे पिताजी द्वारा मुझे अकेले को प्रदान की गई है तथा अन्य किसी वारीस का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। इस घटना के पश्चात् वादीगण ने प्रतिवादी से सम्पर्क कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि हमारी मौरूसी भूमि है जिससे हम सभी का जन्म से ही विधिक अधिकार निहित है। तथा उसी अनुसार सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रहे है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त वादीगण का हक व हिस्सा मानने से इन्कार कर दिया व वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि मुझ अकेले प्रतिवादी की है जो दस्तावेज से पिताजी द्वारा प्रतिवादी को प्रदान की गई है तथा भारी झगड़ा वादीगण के साथ किया व धमकी दी कि उक्त दस्तावेज के आधार पर सके द्वारा भूमि अन्य लोगों को विक्रय कर दी जावेगी । अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण को उनके पृथक–पृथक 1/20 वे हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे।

प्रतिवादी को पर्याप्त असवर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 19.02.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जवाब पेश नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

वादी अधिवक्ता को साक्ष्य पेश करने हेतु कई बार अवसर दिए गए। बावजूद इसके साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे वादी के साक्ष्य अवसर बंद किए जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी भूमि होकर वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। मौके पर भी अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है, किन्तु प्रतिवादी द्वारा जबरन वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में बेदखल किया जाकर वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने पर उतारू है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादी द्वारा वाद पत्र के साथ सलंन जमाबंदी ग्राम सुरों का गुड़ा पटवार मण्डल बेमला जमाबन्दी सम्वत् 2070 – 2073 के खाता संख्या नया 151 के आराजी संख्या 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 कुल किता 07 कुल रकबा 4.1650 हैक्टयर में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार होकर वादी द्वारा स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद अपने ही सहखातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। जब तक राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य विधिक विभाजन नहीं जाता है तब तक प्रत्येक खातेदार का एक एक इंच पर कब्जा एवं अधिकार होता है। खातेदारों के मध्य विभाजन नहीं हो जाता है तब तक स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद पोषणीय नहीं है। जबकि वादी द्वारा वाद बंटवारे का न प्रस्तुत कर केवल मात्र स्थाई निषेद्याज्ञा का प्रस्तुत किया है। वादी के वादपत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात में सहखातेदार है। राजस्थनान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् सहखातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की नजीरों को भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार :–

1. एक सह अभिधारी अपने भाई (सह–अभिधारी) के विरूद्ध धारा 188 के स्थायी आदेश के लिए वाद नहीं ला सकता, क्यों कि सिद्धान्त में प्रत्येक पक्षकार वाद – भूमि के प्रत्येक इंच कब्जे में रहता है। अतः एक सह–अभिधारी को अन्य सह अभिधार को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। बीरबल ब. रामसुख, 1976 आर. आर. डी.222
2. एक सह अभिधारी के विरूद्ध दूसरे सह अभिधारी द्वारा स्थायी व्यादेश का वाद चलने योग्य नहीं है। बेल शास्त्री ब. भालचन्द्र, 1973 आर. आर. डी. 641

वाद का संक्षिप्त सार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पिता की संतान होकर वादीगण व प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की कृषि भूमि मौजा सुरों का गुढ़ा, पटवार क्षेत्र बेमला, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर में स्थित है। जिसके साबिक नम्बर 230/1 मीन रकबा 19 बीघा 11 बिस्वा व आराजी संख्या 1/1 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी नम्बर के हाल आराजी नम्बर 90 रकबा 3.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 91 रकबा 0.0900 हैक्टयर, आराजी नम्बर 92 रकबा 0.0200 हैक्टयर, आराजी नम्बर 93 रकबा 0.2350 हैक्टयर, आराजी नम्बर 94 रकबा 0.2350 हैक्टयर, आराजी नम्बर 95 रकबा 0.2150 हैक्टयर, आराजी नम्ब्र 96 रकबा 0.2900 हैक्टयर, कुल किता 07 कुल रकबा 4.6150 हैक्टयर है। इसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, यानि प्रथक–प्रथक रूप से 1/20 हिस्सा है। वादीगण व प्रतिवादीगण वर्समान में संयुक्त खातेदार होकर भूमि में सहखातेदार है। एक सह–खातेदार दूसरे सह–खातेदार के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक आपास में दोनों का बंटवाड़ा नहीं हो सकता है।

अतः वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 36/24 सन 2024 अनवान (1) श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी उमेश, निवासी, तितरड़ी तहसील गिव जिला उदयपुर हाल ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर (2) श्रीमती चन्द्रा देवी पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी महेश जी आमेटा, निवासी विजनवास तहसील मावली जिला उदयपुर (3) श्रीमती निर्मला पुत्री स्व. जमना शंकर जी पत्नी राजेन्द्र जी 3–आमेटा, निवासी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (4) श्रीमती राजेन्द्रा पुत्री स्व. जमना शंकर जो पत्नी कुमदेश जी आमेटा, निवासी गादोली तहसील मावली जिला उदयपुर बनाम . हेमन्त कुमार पिता जमना शंकर जी आमेटा, निवासी–तीतरड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 188 व 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री नरेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे .....रुपये की राशि .....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर .....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित .....द्वारा .....को दी जाए।

यह आज तारीख .....27.....माह .....5.....सन् .....2024..... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश .....
पद .....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.30 17:53:17 IST
Reason: SelfAttested